

स्थिति हमारे देश में क्या है ? उनको मिनिमम वैज भी नहीं मिलता । जहां सरकार ने कोई कानून बना रखा है, वहां वह कानून लागू नहीं होता । सरकार ने जो मिनिमम वैज तय किया है उसके हिसाब में बीड़ी मजदूरों का करोड़ों रुपया बकाया है । चूंकि वहां कानून लागू नहीं है इसलिये राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है । सेंट्रल गवर्नमेंट की आर से भी इस सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । देश के अन्दर करप्शन बढ़ रही है, देश के अन्दर चारों ओर जो ला एण्ड आर्डर की स्थिति है, उससे हम लोग बच निकल रहे हैं । बिहार खास तौर पर इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है और वहां पर जनजीवन खतरों में है । वहां पर ऐसी स्थिति है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है बल्कि कई स्थानों पर तो सरकारी लोगों की सांठ-गांठ एन्टीसोशल एलीमेन्ट्स के साथ है, जोकि अखबारों में बराबर निकलता रहता है ।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कम से कम बिहार की जो स्थिति है, उड़ीसा की जो स्थिति है, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार की इसमें स्पेशल जिम्मेवारी है क्योंकि वहां पर सुखाड़े की स्थिति के कारण हजारों-हजार लोग बिहार के लोग भाग कर पंजाब और हरियाणा में रोजी रोजगार के लिए आ रहे हैं । वहां की स्थिति बहुत भयावह है और लोग भूख मर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और उचित ध्यान देगी ।

इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं ।

प्रधानमन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने अच्छी बातें कही हैं, कुछ ने अपने पुराने सिद्धान्तों को दोहराया है और कुछ ने अपने पूर्वाग्रहों को ही अभिव्यक्त किया है । मैं किसी एक ग्रुप अथवा दूसरे ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहती और न ही किसी व्यक्ति विशेष का ही नाम इसलिए नहीं लेना चाहती हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसे पसन्द नहीं करती अथवा उनके द्वारा की गई आलोचना पर मुझे आपत्ति है बल्कि इसलिये कि सभी का नाम लेना संभव नहीं होगा और केवल कुछ का नाम लेना भेदभाव करने के समान होगा । किन्तु मैं सभी को चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देती हूं ।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति संसद और राष्ट्र को देश की स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं । अभिभाषण में यह कार्य बड़े दायित्व और स्पष्ट एवं ठोस ढंग से किया गया है । कुछ कानूनीय सदस्यों ने अभिभाषण पर आवश्यक रूप से अच्छा एवं आशावादी होने का आरोप लगाया है । किसी ने यह दावा नहीं किया है कि आदर्श परिस्थितियां हैं अथवा हम उपलब्धियों से सन्तुष्ट हैं । किन्तु कुल मिला कर अभिभाषण वस्तु-पक्क है एवं इसमें खूबियों और कमियों दोनों का ही सन्तुलित व्योरा दिया गया है । मेरा विचार है कि इसमें निश्चय ही राष्ट्र की इतनी अधिक कठिनाईयों की तुलना में शक्ति और उपलब्धि प्राप्त की गई उसका उल्लेख किया जाना चाहिए ।

अनेक माननीय सदस्यों ने कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन में कमी तथा पिछले वर्ष

की तुलना में 1982-83 में आर्थिक विकास की दर में कमी होने का उल्लेख किया है। कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम हुआ है किन्तु औद्योगिक उत्पादन में कमी नहीं आई है। समूची विकास दर में कुछ कमी अवश्य आई है किन्तु इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में बहुत ही गिरावट आई है तथा दूसरे, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में 1982 में असाधारण सूखा पड़ा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक माहौल से अलग कर नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसे इसी के अन्तर्गत संबालित होना होता है। जब विश्व व्यापार में ठहराव आ जाता है तो हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। सहायता बहुत महंगी होती जा रही है और उसे प्राप्त करने में भी कठिनाई बढ़ गई है। समूचा विश्व अत्यधिक मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के कारण आर्थिक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। यहां तक कि औद्योगिक रूप से विकसित देशों में भी पिछले वर्ष विकास की औसत दर केवल एक प्रतिशत थी। मैन-लेन-निर्यातक-विकासशील देश सबसे अधिक प्रभावित हुए थे क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था में अन्तर्निहित कमजोरियां थीं और विकसित देशों में मन्दी के परिणामस्वरूप भी ऐसा हुआ है। 1982 वर्ष के दौरान, इन देशों में मुद्रास्फीति की दर 35 प्रतिशत तक थी और विकास की औसत दर केवल 1.8 प्रतिशत थी। सभी क्षेत्रों में ठहराव के इस वर्ष के दौरान भान्त भी उन थोड़े से देशों में से है जो सामान्यतया सन्तोषजनक विकास दर बनाये रख कर भी मुद्रास्फीति को 2.8 प्रतिशत निम्नस्तर पर रख सका है।

2 प्रतिशत विकास की दर पिछले वर्ष की विकास दर से कम है किन्तु मैं उस दूसरी बात, जो मैंने पहले कही थी, के बारे में कहना चाहती हूं कि विकास की यह दर एक ऐसे वर्ष में प्राप्त की गई है जब भयंकर सूखा पड़ा हुआ था जिसके कारण 430 लाख हैक्टर भूमि तथा 26 करोड़ जनता प्रभावित हुई है। पिछली बार 1979-80 में सूखा पड़ा था जब 380 लाख हैक्टर भूमि एवं 22 करोड़ जनता प्रभावित हुई थी। यदि अब हम पिछले मूल्य के वर्ष के साथ अब भी अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो सदन अच्छे और बुरे प्रबन्ध के बीच अन्तर कर सकता है। हमारे देश में, जोकि अत्यधिक रूप से मानसून पर निर्भर है, मानसून की असफलता वाले वर्ष में सरकार केवल अर्थव्यवस्था के सुचारु संचालन से उसके विपरीत प्रभाव को कम करने का प्रयास कर सकती है। हमने 1982 में बिल्कुल यही किया है। इस तरह से देश को एक घोर प्राकृतिक आपदा के विपरीत प्रभाव से बचाया जा सका है।

1979-80 में, खाद्य भंडार एवं विदेशी मुद्रा के संबंध में स्थिति अच्छी होते हुए भी मूल्यों में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में 1982 के सूखा के वर्ष में मूल्य वृद्धि केवल 2.8 प्रतिशत ही थी। ऐसा संयोगबश नहीं हुआ था बल्कि वास्तव में 1982 में कीमतों में बहुत वृद्धि होने लगी थी। किन्तु सरकार ने उचित वित्तीय उपायों, समय पर आयातों, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि तथा अन्न खरीदने के लिए अधिक प्रयासों से इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही की। वास्तव में, 1982 में चावल और गेहूं की खरीद पहले वर्ष की तुलना में अधिक थी और इसी कारण से सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से उनकी

निरन्तर सप्लाई जारी रही। इसके पश्चात्, पहले वाले सूखा वर्ष, 1979-80 के दौरान वास्तव में राष्ट्रीय आय में 4.8 प्रतिशत की कमी आई है और औद्योगिक उत्पादन में 1.4 प्रतिशत की कमी आई है। इसकी तुलना में 1982 के सूखा वाले वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय आय में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आधारभूत सुविधाएँ जैसे बिजली, कोयला, रेलें, बनाये रखी जा सकीं। निवेश की मति तीव्र हुई। अच्छे और बुरे प्रबंध में यही अन्तर है।

मैंने विपक्ष से कभी प्रशंसा की आशा नहीं की है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहों की ही आशा की है और शायद इस प्रकार का रिकार्ड केवल आदत के कारण ही है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, यह तस्वीर न तो काल्पनिक है न ही अतिशयोक्तिपूर्ण है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है।

एक माननीय सदस्य ने अन्न भंडार की श्रृंखला पर खेद व्यक्त किया है। 1 फरवरी, 1983 को भंडार में 125 लाख टन अन्न था। फरवरी, 1981 अथवा 1982 से यह अन्न की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। 2.76 लाख मान्यता प्राप्त उचित दर की दुकानें हैं जिसमें 78% दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में हैं जोकि लगभग 52 करोड़ लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिये हैं। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि पद्धति दोषरहित नहीं है। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। जब भी कभी कठिनाइयों की ओर हमारा ध्यान दिलाया जाता है, हम अन्न को शीघ्र ही पहुँचा देते हैं और स्थिति में सुधार का प्रयास करते हैं।

अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों की समस्याओं का जिक्र किया है। महोदय, संसद वह मंच नहीं है जिसके माध्यम से हम प्रत्येक राज्य की विशिष्ट समस्याओं की जाँच कर सके। मैं जानती हूँ कि राज्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल में हमने कुछ अनाज तमिलनाडु तथा अन्य उन राज्यों में भेजा है जिन्होंने इसकी माँग की थी।

एक अन्य माननीय सदस्य का विचार था कि मूल्य-वृद्धि पर नियन्त्रण सम्बन्धी हमारी सफलता हमारे प्रयासों का प्रतिफल नहीं था बल्कि सारे विश्व में मूल्य गिर रहे थे। महोदय, स्पष्ट बात तो यह है कि मैं यह नहीं समझ सकी कि हमारे मित्र किस विश्व की बात कर रहे थे। यह कोई छुपी हुई बात नहीं कि यूरोप तथा एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के अनेक देशों में मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई है। बढ़ती हुई कीमतें अनेक देशों की प्रमुख समस्या बनी हुई हैं। कुछ देशों में जहाँ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम हैं, वस्तुएं उपलब्ध ही नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप असन्तुष्ट लोगों की लम्बी कतारें लगी हैं जिन्हें मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। एक अन्य माननीय सदस्य ने यह टिप्पणी की है कि थोक मूल्यों की तुलना में उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि अपेक्षाकृत काफी अधिक है। ऐसा होता है। किन्तु उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि पर भी नियन्त्रण पा लिया गया है। दिसम्बर 1981 में 12.7 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष दिसम्बर, 1982 में यह वृद्धि 8 प्रतिशत थी। जनता की स्मरण शक्ति कम मानी जानी है। किन्तु हम आशा करते हैं कि संसदीय स्मरण शक्ति भी अवश्य अधिक होगी। क्या हमारे दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विरोधी, जो जनता पार्टी के घटक अथवा समर्थक थे, इतना शीघ्र भूल गये हैं।

यह एक बड़ी हास्यास्पद बात है किन्तु ऐसी नहीं जिसकी आशा न की जा सके कि एक राजनीतिक दल ने हमारे परिवार नियोजन प्रयासों को अपर्याप्त कह कर उसकी आलोचना की। क्या मुझे यह सदन को याद दिलाने की आवश्यकता है कि यह जनता पार्टी ही थी जिसने विभलता और झूठा प्रचार कर परिवार नियोजन कार्यक्रम को समाप्त कर दिया और जब वे सत्ता में आए, तो उसका नामोनिशान मिटा दिया गया। सदन को यह जानने में शायद रुचि होगी कि पिछले महीनों में पहली बार हमारी आबादी की विकास दर में कमी आई और यह दर 2 प्रतिशत से भी कम अर्थात् 1.9 प्रतिशत हो गई। मैं सच्चे मन से आशा करती हूँ कि कोई भी निहित स्वार्थी दल इस कम दर को समाप्त करने के लिए पुनः अब जनता को गुमराह नहीं करेगा।

बजट प्रस्ताव अभी हमारे दिमाग में ताजा है। वित्त मंत्री का बहुत ही कठिन एवं अप्रिय कार्य होता है। किन्तु बजट हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है। इसमें नई किस्म के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इसके माध्यम से हमारी वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए उपायों का प्रस्ताव किया गया है इन सबका हमारी अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा। इस बजट से और पहले के कुछ प्रस्तावों से काफी संसाधन जुटाए जायेंगे। इनसे बचा नहीं जा सकता क्योंकि हम योजनाबद्ध वह विकास की गति को खोना नहीं चाहते हैं।

इस बजट का आधार एवं हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सम्बन्धी नीति का भी आधार योजना व्यय में वृद्धि करने का है। पिछले वर्ष के बजट में केन्द्रीय योजना व्यय 27 प्रतिशत से अधिक था। इस बार यह वृद्धि 26 प्रतिशत से भी अधिक होगी। हम किसी ओर व्यय की कटौती चाहे करे किन्तु हमने योजनाव्यय में कटौती नहीं की है। फिर भी मुझे मालूम है कि हमें राज्यों तथा यहां तक कि केन्द्रीय मन्त्रालयों के अनेक लाभकारी एवं अत्यावश्यक परियोजनाओं को छोड़ना पड़ा है। मैं यह कह सकती हूँ कि इनमें से कुछ परियोजनाएं मेरे दिल को बहुत भायी थीं। सूखा और मुद्रास्फीति, अन्तर्राष्ट्रीय मंदी एवं भुगतान सन्तुलन संबंधी हमारी कठिनाइयों के बावजूद हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम आत्म-निर्भरता की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन विकास के पथ से विचलित न हों। योजना के अन्तर्गत, जैसाकि मैंने पहले ही कहा है, हमारी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं बिजली, रेलवे, कोयला, इस्पात, परिवहन और सबसे अधिक पेट्रोलियम जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए हैं।

कृषि के लिए हम सिंचाई, उर्वरक तथा अन्य सेवाओं पर बल देते हैं जिसमें छोटे तथा सीमित कीमतों को उत्पादन बढ़ाने तथा ऐसे अन्य उपायों जिससे सीधे गरीब तथा कमजोर वर्गों को सहायता मिलती है।

इस प्रयास को बनाए रखने के लिए हमें साधनों में वृद्धि करनी है। वित्त मंत्री ने गैर-मुद्रास्फिति ढंग से ऐसा करने की कोशिश की है। जिनके पास अधिक है, उन्हें अधिक देना चाहिए। यदि बाजार भाव कुछ वस्तुओं के बहुत ऊंचे हैं और इनसे अधिक लाभ मिलता है तो उस लाभ का कुछ भाग सरकारी खजाने में आना चाहिए। यदि व्यापारी तथा अन्य व्यक्ति कम खर्च

करते हैं और अधिक पूंजीनिवेश तथा बचत करते हैं तो उन पर कम कर लगेगा। हममें से सबको राष्ट्रीय विकास के इस महान कार्य में अधिक बचत करके, उत्पादन संबंधी सम्पत्तियों में अधिक पूंजी लगाकर, अधिक परिश्रम करके और अधिक उत्पादनकारी तथा कार्यकुशल बनकर योगदान देना है। हम घरेलू उत्पादों के लिए अधिक मांग पैदा करने के लिए, योजना अथवा गैर-योजना परिव्यय सरकारी तथा निजी परिव्यय में वृद्धि चाहते हैं। हम सभी आयातों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने घरेलू उद्योग की रक्षा करनी चाहिए जिनमें से अधिकांश की समस्या विकास है। लेकिन मैं कहूंगी कि हमारे बहुत से घरेलू उद्योग, जिनकी रक्षा बहुत समय से हो रही है, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तथा प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अधिकाधिक संकोच कर रहे हैं। अतः यह एक अन्य पहलू है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह हमारी औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीति का प्रमाण ही है कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों की व्यापक उत्पादन क्षमताओं का देश में निर्माण किया गया है और यह उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इन्जीनियरिंग उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ा है। बजट में निर्यात के लिए कुछ और प्रोत्साहन दिए गए हैं।

हम चाहते हैं कि उद्योग चुनौती का सामना करे, अपनी कुशलता बढ़ाये और उत्पादन बढ़ाये।

अपनी उपलब्धियों की आलोचना करना अपने बल अथवा अपनी सरकार की ही प्रतिष्ठा को कम करना नहीं बल्कि हमारे परिश्रमी लोगों, हमारे किसानों, श्रमिकों, वैज्ञानिकों, तकनिशयनों तथा अन्य लोगों की प्रतिष्ठा को भी कम करना है।

संसद ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रखवाले के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रायः आलोचना की है। हमारे वामपंथी सहयोगियों ने भी, जो सैद्धान्तिक रूप से सरकारी क्षेत्र का समर्थन करने का दावा करते हैं, कभी-कभी इसे निरुत्साहित किया है। अब जबकि इस क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है तो हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमें श्रमिकों तथा प्रबन्धकों को अपना अच्छा काम करते रहने के लिए कहना चाहिए।

हमारे ऊपर यह गलत आरोप लगाया गया है कि हम श्रमिक विरोधी हैं। यह बहुत अनुचित बात है। हम श्रमिकों की समस्याओं और कठिनाईयों के प्रति हमदर्दी रखते हैं और अनेक कठिनाईयों के बावजूद भी उन्होंने प्रायः सहयोग दिया है।

ये आरोप उन लोगों द्वारा लगाये गये हैं, जो चाहते हैं कि श्रमिक सरकार विरोधी हैं यह वे श्रमिकों के हित में नहीं बल्कि उनके अपने ही हित में चाहते हैं, मैं उन श्रमिकों का अभारी हूँ जिन्होंने उनकी कठपुतली बनने से इनकार किया है इसका अर्थ यह नहीं है कि हम तालाबंदियों और ऐसे कार्यों से होने वाली कठिनाईयों से अनभिज्ञ हैं। उन पर भी ध्यान दिया जाता है।

हम निरन्तर नये विचारों की खोज में रहते हैं। इसी दृष्टि से मैंने पांच प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्रियों को सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया है। उनके कार्य और योजना आयोग के कार्यों में परस्पर टकराव नहीं होगा एक समाचार पत्र में टिप्पणी आयी थी “हमारे पास काफी सलाह हैं, हमें अधिक काम करने की जरूरत है।” क्या ये एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं? इसके विप-

रीत वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हर जगह समस्याओं तथा निकट संकटों के लिए नये विचारों, नए तरीकों की खोज रहती है।

विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति गम्भीर है। तेल की कीमत बढ़ने से एक समस्या पैदा हो जाती है। यदि मूल्य गिरने शुरू हो जायें तो विश्व एक अन्य जाल में फंस जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अस्त-व्यस्त है। हमारे जैसे विकासशील देशों को इससे सबसे अधिक धनका लगा है। मुझे विश्वास है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री समस्याओं के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन समाधानों के लिए रचनात्मक विचार आगे रखेंगे। मैंने कुछ सिद्धान्तों के बारे में प्रायः अपने विचार प्रकट किए हैं विपक्ष के एक या दूसरे ग्रुप के सदस्यों को कई सिद्धान्तों में गहरी आस्था है। लेकिन मैं नई सफलताओं की आकांक्षा करती हूँ, पुराने सिद्धान्तों की नहीं।

हम पर एक दूसरा आरोप बह है कि हम आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से हट गये हैं। आत्मनिर्भरता तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, सरकार के रूप में, हमारे निर्णयों तथा कार्यों का आधार है। विपक्ष के कुछ लोगों के अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विचार तथा दर्शन विदेशों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से प्रेरित हैं, जहाँ के हालात तथा परिस्थितियाँ बिलकुल भिन्न हैं और यदि ये सिद्धान्त वहाँ भी सफल होने का दावा नहीं कर सकते। हमारी कोशिश अपने तरीकों तथा अपने समाधान का पता लगाना है।

सरकार पर यह आरोप भी लगाया गया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही नहीं की गई है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी राशि हड़प करती है। इससे नैतिकता का हनन होता है और राष्ट्र को कमजोर बनाता है। यह धारणा पैदा करना दुर्भाग्य की बात है कि भारत एक भ्रष्ट देश है। यह राष्ट्र पर लाञ्छन है। अनेक विरोधी दल के सदस्य उन शिकायतों को भूल जाते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध की है और वे प्रचार करते हैं कि केवल कांग्रेस ही भ्रष्ट है। हम भ्रष्टाचार का मुकाबला कर रहे हैं और हम उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं जिनकी तस्वीर किसी कारण हमारे विचार में अच्छी नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसे लोगों को विपक्ष प्रोत्साहित करता है। इसमें दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार एक बुराई है और इससे राजनैतिक लाभ उठाना भी उतना ही बुरा है। हम भ्रष्टाचार की इस बुराई को दूर करने के लिए कृतसंकल्प हैं (व्यवधान) कई उदाहरण हैं। मैं इनका अभी पूरा व्यौरा नहीं दे सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : एक भी उदाहरण नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं आपसे यहां तर्क नहीं दे सकती। कई उदाहरण हैं, जिनका सबको पता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं केवल एक उदाहरण चाहता हूँ (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य की बात नहीं मान सकती। मुझे इस बारे में अपनी बात का पूरा यकीन है। मैं निराधार ध्यान नहीं देती।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जो कुछ आप कहें, उसे आपको उचित ठहराना है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इसे कई अवसरों पर उचित ठहरा चुकी हूँ। इस पर काफी गहराई से विचार हुआ है (व्यवधान)। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि विपक्ष चिल्लाये, तो उनका चिल्लाना ठीक है इसका अर्थ यह नहीं है। कि पत्रकार जो कुछ सनसनी खेज्वाते लिखें वह ठीक है। हमारे पता लगाने तथा तदनुसार व्यय करने के अपने तरीके हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि यहां विद्यमान किसी भी दल ने, जो कई राज्यों में सत्ता में रहे हैं, कोई कार्यवाही की है। मुझे ऐसे किसी भी उदाहरण की जानकारी नहीं है।

घरेलू राजनीति के बारे में कई विचार प्रकट किए गए हैं विशेषकर मेरे दल के सहयोगियों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। क्षेत्रवाद का उदय एक बहुत खतरनाक बात है। कांग्रेस की नीति क्षेत्रीय व्यक्तित्व को उभारने की रही है और मैं इस विचार का पुरजोर पालन करती हूँ। लेकिन इस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में व्यय करना है।

कुछ लोग देश के विघटन के बारे में खुले आम बातें करते हैं। यह देश टूटने नहीं जा रहा है। यह संसद, मेरा दल और मुझे विश्वास है कि यहां उपस्थिति सभी दल ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन यदि कोई दल, सामूहिक अथवा व्यक्ति समूचे देश की समस्याओं से हटकर किसी विशेष क्षेत्र पर संकेन्द्रित हो, तो तनाव बढ़ेगा।

सभा में अपव्यय पर विस्तार से चर्चा हुई है। मैं इस पर पुनः प्रकाश नहीं डालना चाहती मैंने पिछले सप्ताह कहा था, सारे वर्गों को मिलाकर। ऐसी भावनाओं को दबाने तथा समाधान निकालने की जरूरत है कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो सद्भावना तथा बातचीत से हल न की जा सके। यदि आज कुछ युवकों को क्रोध आता है तो, जैसे कि मैंने कहा, मैं उन्हें अपने तथा देश के ही बच्चे समझती रहूंगी। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मैं देश की एकता और अखंडता सम्बन्धी अपनी जिम्मेवारी को एक तरफ रख सकती हूँ?

एक कांग्रेस सदस्य ने भावुकता तथा विश्वास के साथ पंजाब में भाई-बारे की भावना पैदा करने की जरूरत पर बल दिया है। यदि मैं सिख धर्म को सही तरह से समझी हूँ तो इसका मूल आदेश लोगों के बीच प्रेम तथा भाई-चारा पैदा करना है। गुरुनानक के सबसे अधिक प्रभावित करने वाली भजन वे हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि हिन्दू और मुस्लिम समान हैं। हमारे देश में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन, फारसी और यहूदी सब बराबर हैं।

दुर्भाग्यवश, कुछ लोग साम्प्रदायिकता भड़का रहे हैं। अधिकांश साम्प्रदायिक दंगों के कारण आर्थिक अथवा अन्य प्रतिद्वन्दता तथा भय के परिणामस्वरूप होती हैं। कुछ शरारती तत्व उनका दुरुपयोग साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। कुछ शरारती तत्व समझते हैं कि उपद्रव पैदा करने से शायद नेता बन जायेंगे।

कतिपय बोर्डों की सदस्यता, और निदेशकों के बारे में अभी कुछ कहा गया है हम इस मामले

का पुनरीक्षण कर रहे हैं और मैं इससे सहमत हूँ कि ऐसे अनेक पहलू हैं जिनके सम्बन्ध में अविलंब उपाय किए जाने की आवश्यकता है इनमें कुछ पर विचार किया जा रहा है और अन्य मुद्दों का स्वागत है। मैं सभा और माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि सभा के अन्दर या बाहर ऐसा कुछ भी कहने अथवा करने का समय नहीं है जिससे और घटनाएँ अथवा तनाव पैदा हो। आप किसी बात को भड़काने वाला अथवा साम्प्रदायिक नहीं समझते होंगे परन्तु इस नाजुक स्थिति में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि अन्य लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मुसलमानों के साथ-साथ हिन्दुओं में भी कुछ उग्रवादी संगठन पैदा हो गए हैं और इससे किसी भी वर्ग को सदभाव पैदा करने में सहायता नहीं मिल रही है।

गृह मन्त्री जी मुझे अभी बता रहे थे कि मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर मुख्य मंत्रियों से चर्चा हो रही है।

यह कहा गया है कि हमें अपने आसूचना तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। मुझे स्वयं बहुत चिन्ता है। स्थिति और जन-भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होने तथा लोगों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से विचलित न होने के लिए आसूचना तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन करना गुनिस बल को प्रशिक्षण देने के समान ही है जिससे वे लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकें हम इस दिशा में कुछ कदम उठा रहे हैं।

कुछ सदस्य गुट-निरपेक्षता के सम्बन्ध में बोले हैं। मुझे एक बार फिर 'वास्तविक गुट-निरपेक्षता' के बारे में सुनने को मिला है। मैं सोचा था कि उन शब्दों के, जो कई बार हास्यास्पद रहे हैं, प्रयोग से बचा जाएगा। जब तथाकथित 'वास्तविक गुट-निरपेक्षता' की बात हो रही थी, तब शेष गुट-निरपेक्ष विश्व 'वास्तव' में हमारे 'वास्तविक' उद्देश्यों के बारे में असमंजस में था। कुछ लोगों ने पश्चिम (जिसमें पश्चात के गैर-पश्चिमी अनुयायी भी सम्मिलित हैं) के इस प्रचार का ढोल पीटा कि भारत अलग पड़ गया है। क्या हमें स्वयं निश्चय करके जो कुछ हमें उचित और न्याय-संगत लगे उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए अथवा हमें बिना सोचे ही अन्य व्यक्तियों की बात मान लेनी चाहिए? मैं माननीय सदस्यों को ऐसे अनेक अवसरों का स्मरण नहीं कराना चाहती हूँ जब हम पर अक्षेप किए गए और कई ओर से दोषारोपण भी किया गया परन्तु अन्ततः हमारा निर्णय ही सही निकला। यहां तक कि आज भी,—वस्तुतः प्रत्येक गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में जहां तक मुझे याद है, पहले भी जब मैं सत्ता में भी बाहर से हमारे ऊपर किसी प्रकार का अत्यधिक दबाव डाला गया कि हम आन्दोलन में बाधा डालें और तनाव तथा असहमति का वातावरण पैदा करें ताकि यह कहा जा सके कि आन्दोलन असफल हो गया है।

अतः मैं यह आशा करती हूँ कि माननीय सदस्यों की व्यक्तिगत अथवा दलगत जो भी राय हो, वास्तव में वे सब भारतीय हैं, आगामी गुट-निरपेक्ष सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसके प्रभावी होने से विश्व के महत्वपूर्ण मामलों जैसे निरस्त्रीकरण, शान्ति सहयोग और विकास को हल करने में काफी सीमा तक सहायता मिलेगी।

गए हैं। क्या मैं उन संशोधनों को सभा के मतदान हेतु एक एक साथ रख दूँ ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कले आम अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह आम सतागम है।

सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए :

अध्यक्ष महोदय : मैं अब मुख्य प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ प्रश्न यह है :

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

“कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 18 फरवरी, 1983 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

रेल बजट, 1983-84—सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ करते हैं। भूतपूर्व मन्त्री।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं वर्ष 1983-84 के लिए रेल बजट पर चर्चा आरम्भ करता हूँ।

प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक रेलवे के कार्य निष्पादन का संबंध है, हमें इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना होगा कि रेलवे का बहुत बड़ा जाल बिछा है और इसलिए इसके कार्यचालन का प्रबन्ध करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक प्रबन्ध के अन्तर्गत शायद हमारा रेलवे विश्व में दूसरे स्थान पर है। (व्यवधान) बहुत बाधा डाली जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अधिक शोर है। क्या वे गाड़ी में सवार होने आए हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : रेलवे की दुर्घटनाएँ तो समझ में आती हैं परन्तु सभा में दुर्घटनाएँ क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये।